<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू</u>

पीठासीन अधिकारी :– रामरतन सौंकरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 73/2022

वाजीद खां पुत्र श्री कादर खां, जाति कायमखानी, निवासी अलसीसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू, (राज0)। –अपीलान्ट

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मलसीसर ,तहसील मलसीसर,जिला झुन्झुनू (राज0)। –रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय 23.08.2022 न्यायालय नायब तहसीलदार
मलसीसर, मुकदमा उनवानी सरकार बनाम वाजीद खां
अं0 धारा 91 एल0 आर0 एक्ट मुकदमा नंबर 03/2021

उपस्थितिः–

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट –– ––––––––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता ––––– राज0 सरकार की ओर से ।

–निर्णय– दिनांक 31/5/24

पत्रावली पेश हुई। उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.08.2022 मुकदमा नंबर 03/2021 बमुकदमा उनवानी सरकार, बनाम वाजीद अं0 धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि – ''अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को आराजी खसरा नंबर 787 किस्म गैर मुमकिन रास्ता रकबा 0.08 हैक्टर सरहद मौजा ग्राम अलसीसर तहत तहसील मलसीसर में से 0.06 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का आदेश पारित किया।जिसके विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि– ''अधीनस्थ न्यायालय ने अपी[illegible] के जवाब नोटिस को विधिक रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:26 IST
Reason: SelfAttested

डिस्कस नहीं किया, पारित निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है। पटवारी हल्का ने खसरा नंबर 786 के खातेदार को फायदा पहुंचाने की नियत से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को सही मानकर अपीलांट को बेदखल करने में कानूनी गलती की है। कानून से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त स्थिति स्पष्ट होने के बाद यह दायित्व बनता था कि वे स्वतंत्र एजेंसी से अपीलान्ट की मौजूदगी में तथा खसरा नंबर 788 के खातेदारान की मौजूदगी में विधिवत नाप करवाकर कार्यवाही करते जो नहीं कर तथ्य व विधि की भूल की है। विधि में यह भी व्यवस्था है कि सारवान विवाद बिन्दू होने पर संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया को नजरअंदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। अपीलांट के तथाकथित अतिक्रमण की लंबाई–चौड़ाई व अतिक्रमण करने का समय दर्ज नहीं है। आराजी हाल खसरा नंबर 787 गैर मुमकिन रास्ता मौके पर वास्तविक रूप से रास्ते के काम में नहीं आ रहा है। खसरा नंबर 787 के पूर्व दिशा में खसरा नंबर 788 व उसके बाद खसरा नंबर 788/1062 स्थित है। खसरा नंबर 788/1062 गैर मुमकिन सडक है जिसे रिकॉर्ड में किस्म बारानी व अपीलान्ट की पत्नी वगैरह की सहखातेदारी में दर्ज कर रखा है, और खसरा नंबर 788 को रिकार्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग किस्म गैर मुमकिन सडक दर्ज कर रखा है,जो कि गलत है। अधीनस्थ न्यायालय का नैतिक दायित्व यह बनता था कि उपरोक्त प्रविष्टि को फर्द बदर के मार्फत दुरूस्त करवाते जबकि इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजर अंदाज कर निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। खसरा नंबर 787 गैर मुमकिन रास्ता अपीलान्ट की पत्नी की सह–खातेदारी के खेत में तथा आगे पीछे के खेतों में वास्तविक रूप से रास्ते के काम में नहीं आ रही है। अपीलांट की पत्नी की सह–खातेदारी के खेत खसरा नंबर 788 मौजा अलसीसर से अपीलांट की पत्नी को बेदखल करने के उद्देश्य से कार्यवाही की है जो कानूनन गलत है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय को खेत खसरा नंबर 788, 786, 788/1062 के खातेदारान को नोटिस देकर विधि सम्मत कार्यवाही करनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तव में काबिज व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया है। खसरा नंबर 787 पर कार्यवाही करने से पूर्व खसरा नंबर 788 व 788/1062 की सीमा तय करनी चाहिए थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय [illegible] 8.2022 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:26 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि खसरा 787 किस्म गै.मु. रास्ता कुल रकबा 0.08 हैक्टर में से 0.06 हैक्टर भूमि पर तारबंदी कर व मिटटी डालकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर नायब तहसीलदार मलसीसर द्वारा उसे विधिवत सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर विधिक प्रक्रिया के तहत निर्णय पारित किया गया है जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को देखने से यह भलीभांति साबित है कि अपीलांट को नोटिस तामिल हुआ है ओर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का तथ्य सही नहीं है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया जिससे अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा वैद्य हो।

हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने राजकीय भूमि खसरा 787 किस्म गै.मु. रास्ता कुल रकबा 0.08 हैक्टर में से 0.06 हैक्टर भूमि पर तारबंदी कर व मिटटी डालकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर नायब तहसीलदार मलसीसर द्वारा उसे विधिवत सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर विधिक प्रक्रिया के तहत निर्णय पारित किया गया है । विद्वान अधिवक्ता आपीलांट का यह कथन कि आराजी हाल खसरा नंबर 787 गैर मुमकिन रास्ता मौके पर वास्तविक रूप से रास्ते के काम में नहीं आ रही है। कानूनन गैर मु0 रास्ते की भूमि काम आये या नहीं आये, इस बिन्दु पर किसी व्यक्ति विशेष को उस पर अतिक्रमण कर बंद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर के निर्णय दिनांक 23.08.2023 में कोई कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील में कोई बल नहीं होने से खारिज होने योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर का निर्णय दि. 23.8.2022 बउनवानी सरकार बनाम वाजीद खां मु0नं0 03/22 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:26 IST
Reason: SelfAttested

सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/5/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सौकरिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:51:26 IST
Reason: SelfAttested